न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज

अन्तिम रिपोर्ट संख्या–35/2019

सरकार बनाम अजीमुद्दीन वगैरह

थाना कोतवाली जनपद महराजगंज

27.07.2019 पत्रावली पेश हुई। वादिनी मुकदमा आशिया खातून जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। उसकी तरफ से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि मुकदमें के विवेचक द्वारा विवेचना कर न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट दाखिल किया गया है जिस पर प्रार्थिनी को कुछ नही कहना है तथा अब आगे मुकदमा नही लड़ना चाहती है। समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया है। ,

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले का अभियोग वादिनी मुकदमा आशिया खातून द्वारा पंजीकृत कराया गया था। अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित होने पर वादिनी को आहूत किया गया, उसने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर, अन्तिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति न होना कहा है और शपथपत्र भी दाखिल किया है, जिसमें उसने अन्तिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति न होने का कथन किया है। अतएव उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार कर मुकदमा समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अन्तिम रिपोर्ट संख्या–35/2019 वादिनी के प्रार्थनापत्र के आधार पर स्वीकार किया जाता है। मुकदमे की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(छांगुर राम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महराजगंज।